

राजकीय महाविद्यालय जखिखनी वाराणसी

प्रवेश विवरणिका एवं आवेदन-पत्र

सत्र : 2024-25

- 1- महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की हार्डकापी निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक **05 जुलाई 2024** तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। उक्त तिथि के पश्चात कोई प्रवेश आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2- प्रवेश की अंतिम तिथि **31 जुलाई 2024** होगी। इस तिथि के पश्चात महाविद्यालय में कोई प्रवेश संभव नहीं होगा।
- 3- पूर्ण रूप से पूरित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक आवश्यक हैं—
 - हाईस्कूल एवं इंटरमीडिए उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों की छायाप्रति।
 - इंटर कृषि विषय से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एफ 1 तथा एफ 2 दोनों अंकपत्रों की छायाप्रति लगाएंगे।
 - अंतिम विद्यालय/कालेज से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - राज्यस्तरीय खेल कूद/एन0सी0सी0/स्काउट गाइड संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति का संलग्न करना अनिवार्य होगा। (जो 2011 के बाद निर्गत होना चाहिए)
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/सैन्य पाल्य/विकलांग/राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी के आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - EWS प्रमाण पत्र की छायापति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4- इंटरमीडिएट में केवल एक वर्ष का अन्तराल (गैप) अनुमत्य होगा। 1 वर्ष के अन्तराल वाले छात्रों को रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से हलफनामा देना होगा कि मैंने विगत वर्ष में किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था।
- 5- प्रवेश में आरक्षण की सुविधा उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार देय होगा
 - अनुसूचित जाति— 21 प्रतिशत
 - अनुसूचित जन जाति— 2 प्रतिशत
 - अन्य पिछड़ा वर्ग— 27 प्रतिशत
 - आरक्षण हेतु नवीनतम निर्धारित प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
 - सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थी को क्षेत्रिक प्रकृति का आरक्षण निम्नवत् लागू होगा—

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए— 2 प्रतिशत सीट।
- विकलांगों के लिए अधिकतम— 3 प्रतिशत सीट।
- महिलाओं के लिए अधिकतम — 20 प्रतिशत सीट।
- राजकीय महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित हेतु— 3 प्रतिशत सीट।

उपरोक्त के आलोक में तैयार कला संकाय/कृषि संकाय की मेरिट सूची के आधार पर ही प्रवेश संभव होगा।

6- स्नातक (बी0ए0प्रथम सेमेस्टर/बी0एस-सी0कृषि प्रथम सेमेस्टर) में मेरिट सूची के आधार पर ही प्रवेश लिया जाएगा।

7- कला संकाय में प्रवेश संबंधी नियम-

- बी0ए0 प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की मेरिट सूची **15 जुलाई, 2024** को प्रवेश संबंधी सूचनाओं सहित सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश का कार्य **17 जुलाई 2024** से अंतिम तिथि **31 जुलाई 2024** तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नियमानुसार होगा।
- एन0सी0सी0 बी एवं सी प्रमाण पत्र धारक के लिए कमशः 03 एवं 05 अंक।
- स्काउट गाइड प्रशिक्षण प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए 2 अंक।
- राष्ट्रीय,राज्य स्तर,मण्डल स्तरके खेलकूद में पुरस्कृत छात्रों के लिए कमशः 5, 3 व 2 अंक।

8- कला संकाय (बी0ए0) में निम्नलिखित **08** विषयों में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है-

A. भाषा संकाय

1. हिन्दी
2. संस्कृत
3. अंग्रेजी

B. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

1. अर्थशास्त्र
2. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)
3. राजनीति विज्ञान
4. समाजशास्त्र
5. शारीरिक शिक्षा

- बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को उपर्युक्त दोनो संकाय में से एक संकाय से कम से कम दो विषय लेना अनिवार्य है। कुल तीन मेजर विषय का चयन करना है। तीसरा विषय दूसरे संकाय से चयन करना होगा।
- बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में एक विषय माइनर इलेक्टिव विषय के रूप में चयन करना है, जो मेजर विषय से अलग होगा।
- बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में कौशल विकास एवं को-कूरिक्यूलर प्रश्नपत्र का चयन करना होगा

9- कृषि संकाय में प्रवेश संबंधी नियम

क. बी0एस-सी0(आनर्स)कृषि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने वर्ष **2023** अथवा **2024** की इण्टरमीडिएट परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान वर्ग से संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो।

ख. बी0एस-सी0(आनर्स) कृषि प्रथम सेमेस्टर में स्वीकृत सीट की कुल संख्या **60** है।

ग. प्रवेश इण्टर कृषि अथवा विज्ञान विषयों के प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मेरिट सूचकांकों की गणना इण्टर कृषि के विषयों प्रश्नपत्रों की पूर्णांकों के सापेक्ष की जाएगी।

घ. बी0एस-सी0(आनर्स) कृषि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित प्रवेशार्थियों की मेरिट सूची वरिष्ठता क्रम में **24 जुलाई, 2024** को सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाएगी। यदि मेरिट सूची में किसी प्रवेशार्थी को त्रुटि प्रतीत हो तो प्रवेशार्थी संशोधन हेतु तत्काल प्राचार्य को सप्रमाण अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।

प्रवेश प्रक्रिया- अनारक्षित संवर्ग की सीटों पर (वरीयता क्रम से) दिनांक **30 जुलाई 2024** को ही प्रवेश लिया जाएगा इसके लिए अर्ह छात्र **प्रातः 10 बजे से 2.00 बजे** तक प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रवेश लें।

अनारक्षित संवर्ग में सामान्य श्रेणी, EWS, विकलांग वर्ग एवं अन्य आश्रित श्रेणी के छात्रों का प्रवेश दिनांक **30 जुलाई 2024**, को ही संपन्न हो जाएगा। अनारक्षित श्रेणी की सीट समाप्त हो जाने पर आरक्षित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति) के प्रवेशार्थियों का प्रवेश दिनांक **30 जुलाई 2024** को समय **प्रातः 10 बजे से 2 बजे** तक सुसंपन्न होगा। प्रवेश तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले प्रवेशार्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण अपने संवर्ग में ही प्रदान किया जाएगा।

ङ. अधिभार की गणना निम्नवत होगी।

1-एन0सी0सी0 बी एवं सी प्रमाण पत्र धारक के लिए क्रमशः 03 एवं 05 अंक।

2-स्काउट गाइड प्रशिक्षण प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए 2 अंक।

3-राष्ट्रीय,राज्य स्तर,मण्डल स्तरके खेलकूद में पुरस्कृत छात्रों के लिए क्रमशः 5, 3 व 2 अंक।

10-उ0प्र0 स्टेट विश्वविद्यालय एक्ट 1973 की अनु 8 की धारा 45 के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र-छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

11-प्रवेश संबंधी अन्य नियमों की जानकारी प्रवेश मेरिट सूची के साथ सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।

-----*****-----*****-----*****-----*****